न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला– चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र –01/2022

अनवान

1. श्रीमती तृप्ति पुत्री स्व. श्री परमेश्वर सिंह जी पत्नी श्री विक्रम सिंह जी राठौर, निवासी प्लाट नं. 167 रघुनाथपुरी कालवाड रोड जयपुर, राजस्थान हाल निवासी निमडी (जावदा) थाना जावदा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. श्रीमती भावना पत्नी निकितेश भाटी, जाति राजपूत, आयु बालिग, निवासी ग्राम खेजड़ला, जिला जोधपुर, राजस्थान।

–वादीगण

बनाम

1. धीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, जाति राणावत राजपूत, आयु 65 वर्ष, निवासी निमडी (जावदा), प0ह0 देवपुरा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. शक्ति सिंह पुत्र श्री धीरेन्द्र सिहं, जाति राजपूत, आयु 35 वर्ष, निवासी निमडी (जावदा), प0ह0 देवपुरा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. रूपकंवर पत्नी श्री विरेन्द्र सिंह, जाति राजपूत आयु बालिग निवासी निमडी (जावदा), प0ह0 देवपुरा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

अप्रार्थीगण/विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 (क)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा–151 सी.पी.सी.

उपस्थित – श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत अभिभाषक वादी।
श्री भूपेन्द्र पुरोहित अभिभाषक प्रतिवादी।

निर्णय दिनांक 08.07.2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उक्त अनवान सदर में प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, रावतभाटा के यहां एक प्रार्थना पत्र धारा 212 रा0टि0 एक्ट का दिनांक 15.06.2021 का प्रस्तुत किया था जिसकी प्रकरण संख्या 40/2021 है तथा उसी दिन न्यायालय श्रीमान् द्वारा सुनवाई कर अप्रार्थीगण धीरेन्द्र सिंह, रणआदियत्य सिंह, विनोद पाठक, विरेन्द्र सिंह, शक्ति सिंह, श्रीमति पदमा कुमारी, अनुराधा, हर्षवर्धन सिंह को ग्राम मौजा निमड़ी, प0ह0 देवपुरा की खाता संख्या 02 की आराजी संख्या 20, 21, 22, 23, 27, 33, 34, 35, 42, 49, 51, 53, 56, 58, 6 व 8 जिस पर हम प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा वर्तमान में भी फसल की बुवाई कर रखी है जिस पर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया था कि वह उक्त वर्णित कृषि आराजियात में किसी प्रकार का अमलदखल ना तो स्वयं करे, ना ही अन्य किसी दिगर व्यक्ति से करावे, इस बाबत् यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु पाबंद किया गया था तथा उक्त आदेश दिनांक 15.06.2021 आज दिनांक तक भी प्रभावी है। बावजूद न्यायालय आदेश दिनांक 15.06.2021 के अप्रार्थीगण धीरेन्द्र सिंह, शक्ति सिंह, व रूप कंवर निवासी निमड़ी (जावदा) ने ग्राम मौजा निमड़ी की आराजी संख्या 27 जिस पर न्यायालय का स्थगन आदेश जारी किया गया है में अमल दखल कर मौके पर लड़ाई–झगड़ा किया तथा हमारे द्वारा बोई हुई फसल को नष्ट कर दिया है तथा ट्रेक्टर लेकर अन्दर प्रवेश कर गये तथा प्रार्थीया तृप्ति के साथ दिनांक 23.09.2021 की सुबह 10:00 बजे अप्रार्थीगण [illegible] जा रहे थे तो प्रार्थीया तृप्ति राणावत अप्रार्थीगण को समझाने व न्यायालय स्थ[illegible] के [illegible] बताने गयी तो अप्रार्थीगण द्वारा गाली–गलौच की तथा प्रार्थीया [illegible] मारा तथा हाथापाई की तथा अप्रार्थीगण द्वारा कोर्ट [illegible] का उल्लंघन [illegible] के साथ मारपीट की जिसकी एक एफ.आई.आर. संख्या 34/2021 थाना जावदा में दर्ज करवाई जिस पर थानाधिकारी द्वारा कार्यवाही करते हुए ट्रेक्टर को जप्त कर अप्रार्थीगण [illegible] विरूद्ध कार्यवाही की गई तथा न्यायालय श्रीमान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब रावतभाटा में अप्रार्थी विरेन्द्र सिंह द्वारा ट्रेक्टर को सुपुर्दगी नामे व जमानतनामे पर छुड़वाया इससे स्पष्ट प्रमाणित है कि अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय आदेश दिनांक 15.06.2021 की अवहेलना/अवमानना की है इसलिए अप्रार्थीगण न्यायालय आदेश की अवमानना के दोषी है जिन्हें सिविल कारावास से दण्डित किया जाना न्यायोचित है। अंत में प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.07.29 13:31:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

विरूद्व न्यायालय आदेश की अवहेलना का प्रकरण दर्ज कर उनके द्वारा किये गये कृत्य की उन्हें सख्त सजा दिलाई जाए तथा मौके पर राजस्व कर्मचारियों व पुलिस प्रशासन को आदेशित किया जावे कि वह न्यायालय आदेश की पालना सुचारू रूप से करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री भूपेन्द्रकुमार पुरोहित ने पैरवी हेतु वकालतनामा प्रस्तुत किया। प्रकरण में सुनवाई के दौरान वकील प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने प्रकरण में दिनांक 02.01.2025 को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा–151 सी.पी.सी. का इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य कृषि भूमि ग्राम नीमडी फार्म प०ह० देवपुरा में सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है जिसकी खाता संख्या 02 खसरा संख्या कुल किता 52 रकबा 210.74है0 है। उपरोक्त वर्णित आराजी का वाद बॅटवारे का न्यायालय में विचाराधीन है तथा तनकियात पर राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी पेश की हुई है जिसकी प्रकरण संख्या 6717/2024 है तथा माननीय न्यायालय का रिकार्ड तलब किये जाने का आदेश 2019/2024 का जारी किये गये है। प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के मध्य ना तो कभी राजस्व रिकार्ड में बंटवारा हुआ और ना ही कभी कोई मौखिक बंटवारा हुआ, ताकत के बल पर प्रार्थीया के पिता परमेश्वर सिंह जी ने इच्छा अनुसार सहखातेदारी की आराजी पर कब्जा कर निर्माण कर लिया था तथा इसी अनुसार इनकी पुत्रियां व पत्नि बिना बंटवारे के तारबंदी व पक्का निर्माण कर रही है। प्रार्थीया द्वारा बंटवारे के दावे के साथ एक 212 अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र दिनांक 15.06.2021 को प्रस्तुत किया था जिसकी प्रकरण संख्या 40/2021 है जिस पर न्यायालय श्रीमान द्वारा अप्रार्थीगणं को बिना सुने एकतरफा आराजी संख्या 20, 21, 22, 23, 27, 33, 34, 35, 42, 49, 51, 53, 56, 58, 06, 08 पर मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किये थे। यथास्थिति का अर्थ विधि अनुसार/कानुनन यह नही है कि एक पक्ष निर्माण कार्य सहखाते की आराजी पर करे, तारबंदी करे, बडे–बडे वृक्षों को काटे, खेतो के आने जाने के रास्ते बंद कर देवे, मौके की यथास्थिति परिवर्तित कर दी जावे यथास्थिति दोनो पक्षो पर लागू होती है। प्रार्थीया द्वारा एकतरफा स्टे का अनुचित लाभ लिया जा रहा है मौके पर पत्थरगढी किए बिना तरमीम के संयुक्त खातेदारी की आराजी जो 210.74है0 है अवमानना साबित नही होती अवमानना प्रार्थना पत्र विधि द्वारा वर्जित है संयुक्त आराजी पर प्रार्थी अप्रार्थी करीब 15 खातेदार है, आराजी पर किस नम्बर पर कौन काश्तकार काबिज हो काश्त कर रहा है, इसका पत्रावली पर कोई कानुनी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं है जो साबित करे कि न्यायालय की अवमानना हुई है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सयुंक्त आराजी पर आने जाने का रास्ता एक ही है आपस में लडाई झगडा होने पर न्यायालय एसीजेएम रावतभाटा में दोनो पक्षकारों के क्रॉस में मुकदमे विचाराधीन है ना ही कोई किसी प्रकार की दोषसिद्धि हुई इसलिए अवामानना की अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही विधि द्वारा वर्जित है। प्रार्थी तृप्ती द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना जावदा संख्या 34/2021 के दर्ज किये जाने से अवमानना कार्यवाही प्रस्तुत की गई है जबकि न्यायालय एसीजेएम रावतभाटा द्वारा अप्रार्थी धीरेन्द्र सिंह की ओर से प्रस्तुत परिवाद पर न्यायालय ने प्रार्थीया तृप्ती इनके पति विक्रम सिंह, माता पुस्पेन्द्रा कॅवर के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर वारण्ट जारी कर रखे है जिसके मु.न. 387/2022 रे.फो.है। अंत में अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अवमानना प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

वकील वादीगण/विपक्षीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा–151 सीपीसी के जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब पेश नही करने से जवाब न्यायालय द्वारा बन्द किया गया। वकील वादीगण/विपक्षीगण द्वारा प्रार्थन पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा–151 सीपीसी की लिखित बहस पेश की जिस[illegible] कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी द्वारा जो प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम [illegible] 151 सीपीसी का पेश किया है वह विधि विरूद्ध होकर अवमानन[illegible] 39 [illegible] 2ए में पेश नही किया जा सकता है क्योंकि आदेश 7 नियम [illegible] वाद पत्र में आदेश आदेश 7 नियम 11 सीपीसी [illegible] चित नही है। अप्रार्थी द्वारा धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है, [illegible] कि 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र न्यायालय मे पेश होने पर अलग से दर्ज रजिस्टर्ड होकर [illegible]टिस जारी किया जाकर सुनवाई किया जा सकता है। आदेश 7 नियम 11 मे क ख ग घ च पांच बिन्दु पर निर्णित किया जाता है जहां सबसे पहले वाद हेतुक का उल्लेख किया गया है उक्त प्रकरण मे वाद कारण पूर्ण रूप से उल्लेख किया गया है तथा वाद कारण को लेकर एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है तथा अप्रार्थी द्वारा पूर्ण रूप से न्यायालय आदेश की अवमानना की है। अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.07.29 13:31:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

द्वारा जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसके कॉलम संख्या 01 व 02, 7 आंशिक रूप से अस्वीकार है तथा 03,04,05,06,08,09,10 अस्वीकार होकर जवाब है कि अप्रार्थी धिरेन्द्र सिंह, शक्तिसिंह, रूपकंवर द्वारा न्यायालय आदेश दिनांक 15.06.2021 की अवमानना की है क्योंकि न्यायालय आदेश दिनांक 15.06.2021 मे अंत में लिखा गया कि अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि आगामी आदेश तक प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की उक्त वर्णित कृषि भूमि मे किसी प्रकार कि दखलअंदाजी न करे व मौके की यथास्थिति बनाई रखी जावे, उक्त आदेश में न्यायालय श्रीमान द्वारा प्रार्थीगण को किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया गया था, इसलिए अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सव्यय खारिज फरमाया जावें। इसके विपरित वकील अप्रार्थी द्वारा लिखित बहस (प्रा0पत्र 7/11सीपीसी) पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य कृषि भूमि ग्राम निमडी प0ह0 देवपुरा मे सहखातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है, जिसकी खाता संख्या 02 खसरा कुल किता 52 रकबा 210.74है0 है तथा आराजी का बंटवारा नहीं हुआ है, करीब उक्त आराजी पर 15 काश्तकार खातेदार सह खातेदारी मे काश्त कर रहे है। प्रार्थीया तृप्ती द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र मे कोई हेतुक उत्पन्न नही होने तथा संयुक्त खातेदारी की आराजी रकबा 210.74है0 जिसकी खाता संख्या 02 वाद ग्रस्त आराजी में 15 काश्तकार सह खातेदारी मे काश्त कर रहे है, बिना किसी कानूनन बंटवारे के या पत्थरगढी या सीमा जानकारी कराये बिना किसी भी आराजी का सीमांकन तय नही हो सकता कि कोनसा काश्तकार किस आराजी पर काश्त कर रहा है। तृप्ती व उसके परिवारजन द्वारा उक्त सम्पूर्ण आराजी पर अपनी इच्छा अनुसार कच्चे व पक्के निर्माण किये जाकर मौके की यथास्थिति मे परिवर्तन किया जा रहा है, अभी हाल मे ही वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीया द्वारा कुंआ खुदवाया जाकर निर्माण कराया जा रहा है, जबकि यथास्थिति दोनो पक्षो पर लागु होती है, एक पक्ष यथास्थिति बनाये रखे व दूसरा पक्ष मौके यथास्थिति बिगाडे जो नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के विपरित है। अंत में अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र अवमानना खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी। वकील प्रतिवादी/प्रार्थीगण ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए भूमि ग्राम नीमडी फार्म प0ह0 देवपुरा में सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है जिसकी खाता संख्या 02 खसरा संख्या कुल किता 52 रकबा 210.74है0 है।प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के मध्य ना तो कभी राजस्व रिकार्ड में बंटवारा हुआ और ना ही कभी कोई मौखिक बंटवारा हुआ, ताकत के बल पर प्रार्थीया के पिता परमेश्वर सिंह जी ने इच्छा अनुसार सहखातेदारी की आराजी पर कब्जा कर निर्माण कर लिया था तथा इसी अनुसार इनकी पुत्रियां व पत्नि बिना बंटवारे के तारबंदी व पक्का निर्माण कर रही है। प्रार्थीया द्वारा बंटवारे के दावे के साथ एक 212 अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र दिनांक 15.06.2021 को प्रस्तुत किया था जिसकी प्रकरण संख्या 40/2021 है जिस पर न्यायालय श्रीमान द्वारा अप्रार्थीगण को बिना सुने एकतरफा आराजी संख्या 20, 21, 22, 23, 27, 33, 34, 35, 42, 49, 51, 53, 56, 58, 06, 08 पर मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किये थे। यथास्थिति का अर्थ विधि अनुसार/कानुनन यह नही है कि एक पक्ष निर्माण कार्य सहखाते की आराजी पर करे, तारबंदी करे, बडे–बडे वृक्षों को काटे, खेतो के आने जाने के रास्ते बंद कर देवे, मौके की यथास्थिति परिवर्तित कर दी जावे यथास्थिति दोनो पक्षो पर लागू होती है। प्रार्थीया द्वारा एकतरफा स्टे का अनुचित लाभ लिया जा रहा है मौके पर पत्थरगढी किए बिना तरमीम के संयुक्त खातेदारी की आराजी जो 210.74है0 है अवमानना साबित नही होती अवमानना प्रार्थना पत्र विधि द्वारा वर्जित है। इस प्रकार वादीगणों ने प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य अंकित किये है जिससे दावा/अवमानना प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज करने का निवेदन किया। इसके विपरीत वकील विपक्षी/वादी ने प्रार्थना पत्र [illegible] को अस्वीकार कर कथन किया कि विवादित आराजीयात में प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत [illegible] प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने से इसी स्टेज पर खारिज करने योग्य है अप्रार्थी द्वारा जो [illegible] आदेश 7 नियम 11 व धारा–151 सीपीसी का पेश किया है वह विधि विरूद्ध होकर अवमानना प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 2ए में पेश नही किया जा सकता है क्योंकि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी वाद पत्र में ही मान्य है, तथा वाद पत्र में आदेश आदेश 7 नियम 11 [illegible]सी की सुनवाई किया जाना न्यायोचित नही है। अप्रार्थी धिरेन्द्र सिंह, शक्तिसिंह, रूपकंवर द्वारा न्यायालय आदेश दिनांक 15.06.2021 की अवमानना की है क्योंकि न्यायालय आदेश दिनांक 15.06.2021 मे अंत में लिखा गया कि अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि आगामी आदेश तक प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की उक्त वर्णित कृषि भूमि मे किसी प्रकार कि दखलअंदाजी न करे व मौके की यथास्थिति बनाई रखी जावे, उक्त आदेश में न्यायालय श्रीमान द्वारा प्रार्थीगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.07.29 13:31:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया गया था, इसलिए अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सव्यय खारिज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण ग्राम निमडी प0ह0 देवपुरा की विवादित आराजीयात खाता संख्या 02 खसरा संख्या कुल किता 52 रकबा 210.74है0 के संबंध में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 39 नियम 2 (क) के तहत वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया था कि वह उक्त वर्णित कृषि आराजियात में किसी प्रकार का अमलदखल ना तो स्वयं करे, ना ही अन्य किसी दिगर व्यक्ति से करावे, इस बाबत यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु पाबंद किया गया था तथा उक्त आदेश दिनांक 15.06.2021 आज दिनांक तक भी प्रभावी है, अप्रार्थीगण न्यायालय आदेश की अवमानना कर रहे है, किन्तु प्रार्थीगण के कथन पृथमदृष्टया अप्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में अंकित तथ्यों से साबित नही होना पाया गया, जो विधिवर्जित होकर प्रथमदृष्टया स्वीकार योग्य नहीं है। उपरोक्त विवेचनों के अनुक्रम में वादी/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से प्रथमदृष्टया ही खारिज योग्य है, जिससे प्रार्थी/विपक्षी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रमाणित होने से स्वीकार योग्य पाया गया है।

अतः प्रतिवादी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रमाणित होने से स्वीकार किया जाकर वादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 2 (क) प्रकरण संख्या 40/2021 में न्यायालय आदेश दिनांक 15.06.2021 की अवमानना कार्यवाही बाबत ग्राम नीमडी फार्म प0ह0 देवपुरा में सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है जिसकी खाता संख्या 02 खसरा संख्या कुल किता 52 रकबा 210.74है0 के संबंध का खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 08.07.2025 को सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो।

(महेश गगोरिया)R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा.
जिला-चित्तौडगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.07.29 13:31:59 IST
Reason: SelfAttested